मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फ. क. 55–4/बोर्ड–गठन /2022 भोपाल दिनांक

प्रति,

....

....

....

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र वक्फ बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम की धारा 14 (ख) के अंतर्गत 100000/–(एक लाख) रूपये से अधिक आय वाले वक्फों के मुतवल्ली/अध्यक्ष में से एक अथवा दो का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नही किया गया है एवं वक्फ अधिनियम की धारा 46 के अतंर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात भी अभी तक कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नही किये गये है तथा वक्फ अधिनियम की 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चन्दा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चन्दा निगरानी आज दिनांक तक जमा नही किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46 एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के सात दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46 एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात व चन्दा निगरानी की बकाया राशि जमा करें। बकाया चंदा निगरानी नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा आनलाईन म.प्र. वक्फ बोर्ड के सेंट्रल बैंक आफ इंडिया इमामीगेट शाखा भोपाल के खाता क्र. 1239825559 आई.एफ.एस.सी नंबर CBIN0281300 में जमा कर कार्यालय को पावती भेजी जाये। अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली/अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यार्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगें एवं समय सीमा के पश्चात आपका कोई भी आवेदन एवं तर्क स्वीकार योग्य नही होगा।

(प्रशासक महोदय द्वारा अनुमोदित)

13/05/2022

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल

D:UK:2022/Board Ghathan/Letters